परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019

विषय- ग्राम स्टे से आशय ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित ऐसे आवासीय भवन है जिसमें गृहस्वामी स्वयं निवास करता हो अथवा पर्यटक आवास के लिए पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित किया गया हो तथा ऐसे आवास में न्यूनतम 1 व अधिकतम 6 कक्ष (12 शैय्या) पर्यटक आवास हेतु संधारित एवं उपलब्ध हो एवं खान-पान सुविधा उपलब्ध हो, गृह स्वामी से भिन्न पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति/पंजीकृत स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित ग्राम स्टे में संबंधितों द्वारा नियमित व्यवस्थापक रखा जाना जरूरी होगा।

1. योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू करना :-

1.1 यह योजना मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019 कहलायेगी।

1.2 इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण ग्रामीण मध्यप्रदेश होगा।

1.3 यह योजना शासन द्वारा जारी दिनांक से लागू होगी।

1.4 इस योजना का उद्देश्य --

(अ) देशी-विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में आवास, भोजन सुविधा एवं ग्राम्य जीवन अनुभव प्रदाय करना,

(ब) देशी/विदेशी पर्यटकों को भारतीय ग्रामीण संस्कृति, खान पान एवं आतिथ्य से परिचित कराना,

(स) ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक आवास सुविधाऐं विकसित करना,

(द) ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता को पर्यटन व्यवसाय से जोड़ने एवं अतिरिक्त आय अर्जन हेतु प्रोत्साहित करना एवं

(इ) पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूहों को ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक आवास निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना है।

1.5 इस योजना हेतु संपत्तिधारक से आशय आवासीय भवन के स्वामी अथवा पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूह से है, जिसके द्वारा पर्यटक आवास निर्मित किये गये हों, से है।

2. पंजीयन :-

2.1 सम्पत्तिधारक के आवासीय भवन के कक्षों को जिनकी न्यूनतम संख्या 01 तथा अधिकतम संख्या 06 (12 शैय्या) हो, को पर्यटक/ अतिथि रहवास के लिये उपलब्ध रहेंगे।

2.2 ग्राम स्टे इकाई का पंजीयन हेतु शुल्क रु. 1000/- एवं जीएसटी होगा।

2.3 इकाइयों का पंजीयन **परिशिष्ट 'एक'** में निर्धारित मापदंड चेकलिस्ट के आधार पर किया जायेगा।

2.4 पंजीयन तीन (3) साल तक वैध रहेगा।

2.5 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रु. 1000/- + जी.एस.टी. शुल्क, निर्धारित दस्तावेज एवं गत वर्षों की पर्यटक पंजी की प्रतिलिपि के साथ आवेदन वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

2.6 इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक संपत्तिधारक को, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा) के प्रबंध संचालक को निर्धारित **प्रारूप 'अ'** में पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/**RTGS/NEFT** अथवा बैंकर्स चैक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाये जाये। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नही होगी। आवेदन के साथ चेक लिस्ट (परिशिष्ट-1) अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी।

2.7 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये 'ग्राम स्टे' को निम्न शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात् –

(1) यह कि 'ग्राम स्टे' विशुद्धत: आवासीय भवन हो I भवन स्वामी भौतिक रूप से उसमें सतत निवासरत हो एवं किचन का संचालन किया जाता हो/संपत्तिधारक द्वारा आवासीय भवन एवं किचन के संचालन/संधारण की उपयुक्त व्यवस्था की गई हो ।

(2) यह कि सम्पत्ति धारक उसके आवासीय भवन के ऐसे आवासीय भाग को ही किराये पर दे सकेगा जिसमें शयन कक्षों की संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी, (अधिकतम 12 शैय्या होगी)।

(3) यह कि 'ग्राम स्टे' में स्नानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि सुविधाएँ उपलब्ध होगी। कक्षों में हवा आने-जाने के लिये खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो। प्रत्येक कक्ष का बाथरूम सहित क्षेत्रफल कम से कम 100 वर्गफीट होगा।

(4) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो। परिसर में साफ-सफाई की नियमित व्यवस्था हो। अग्नि सुरक्षा एवं पर्यटक सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो।

(5) अन्य कोई शर्तें जो राज्य सरकार या 'बोर्ड' द्वारा निर्धारित की जावें।

2.8 उप कंडिका (2.6) में प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।

2.9 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जायेगा। आवेदक द्वारा ऐसे पत्र के जारी होने के 60 दिवस में सुधार न कर पाने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा।

2.10 निरीक्षणकर्ता, नियुक्ति के अधिकतम 15 दिवस में ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा एवं अपनी अनुशंसाएं देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भोजन आदि सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा।

2.11 निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक, प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर अधिकतम 15 दिवस में इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित **प्रारूप 'ब'** में प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये वैध होगा, बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये । ग्राम स्टे के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा।

2.12 ग्राम स्टे के पंजीयन की संपूर्ण प्रकिया आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर पूर्ण की जावेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा ।

2.13 इस योजना के अंतर्गत स्थापित ग्राम स्टे की एक डायरेक्ट्री विहित **प्रारूप 'स'** में बोर्ड में संधारित की जायेगी ।

3. **योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण :-**

प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक नामांकित अशासकीय सदस्य, द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा/आवास/भोजन भत्ते की पात्रता तथा रुपये एक हजार प्रतिदिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।

4. **इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई 'ग्राम स्टे' निर्हर होगी-**

4.1 यदि सम्पत्तिधारक पर किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरुद्ध रहा हो, या

4.2 यदि ग्राम स्टे का नाम इस योजना की कंडिका-9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो।

5. **सम्पत्तिधारक/व्यवस्थापक का दायित्व होगा कि वह:-**

5.1 पर्यटक/अतिथियों को निर्धारित सुविधा युक्त आवास एवं भोजन उपलब्ध करायेगा।

5.2 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित **प्रारूप 'द'** में एक पंजी संधारित करना होगा. जो निरीक्षण के लिये सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी। ऐसी पंजी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में नवीनीकृत की जावेगी एवं उसे दो वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा।

5.3 ग्राम स्टे में रुकने वाले विदेशी अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को 24 घण्टे में प्रेषित करना होगा ।

5.4 ग्राम स्टे में रुकने वाले सभी अतिथियों की जानकारी संबंधित सरपंच को प्रेषित करना होगा।

5.5 ग्राम स्टे के समुचित संधारण, उत्तम साफ–सफाई, सुरक्षा, जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है, का प्रबंध करना होगा ।

5.6 'ग्राम स्टे' के पंजीयन प्रमाण पत्र, कमरों का किराया, खाद्यपदार्थों की दरों के साथ, चेक इन/चेक आउट का समय तथा कर्मचारियों के नाम की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

5.7 खाद्य पदार्थ स्वच्छ, ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।

5.8 अतिथियों को आवास तथा खान-पान की दरों, चेक इन/चेक आउट की जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।

5.9 अतिथि समस्या निराकरण/शिकायत के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक की जानकारी संपत्तिधारक द्वारा, चाहे जाने पर अतिथि को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. **सम्पतिधारक :-**

6.1 सम्पूर्ण ग्राम स्टे भवन सामान्य आवासीय भवन की तरह संधारित रखेगा।

6.2 संपत्तिधारक अतिथियों की आवास एवं खान-पान की व्यवस्था के साथ ग्रामीण पर्यटन अनुभव संबंधित गतिविधियाँ जैसे बैलगाड़ी की सवारी, पशुपालन, स्थानीय पेड़-पौधों का परिचय, वानिकी, कृषि कार्य, कृषि उपकरणों का निर्माण, माटीकला, स्थानीय उपज से तैयार वस्तु/पदार्थ का प्रदर्शन तथा ग्रामीण परिवेश से संबंधित नृत्य, संगीत, खान-पान आदि पर्यटकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

6.3 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो स्थानीय ग्रामीणों में असंतोष उत्पन्न करे अथवा जिससे अतिथियों को असुविधा हो।

6.4 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा।

6.5 अतिथि की सुरक्षा एवं सुरक्षित व निरापद आवास सुनिश्चित करेगा।

6.6 संपत्तिधारक द्वारा आय-व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संधारित किया जायेगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

6.7 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छःमाही आधार पर उक्त व्यवस्था/ प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जायेगा।

6.8 सम्पत्तिधारक/ केयरटेकर/ इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त व्यक्ति/यों में परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्ति/यों का पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

7. **अतिथि के दायित्व:-**

7.1 अतिथि स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी मे उसकी प्रविष्टि करेगा।

7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा। वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो स्थानीय ग्राम वासियों में असंतोष उत्पन्न करे।

7.3 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह ग्राम स्टे स्वामी को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और संपत्तिधारक द्वारा तय नियमों का पालन करेगा एवं परिसर को क्षति नहीं पहुंचायेगा।

7.4 आगन्तुक पंजी में दर्ज व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि में स्वयं के साथ ग्राम स्टे में रुकने की अनुमति नहीं देगा।

7.5 विदेशी अतिथि अपने आगमन के 24 घण्टे में स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा।

8. **अतिथियों के सुझाव/फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण**

8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।

8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक/ सुझाव देने हेतु अनुरोध किया जाये।

8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये।

8.4 उक्त फीडबैक/ सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/ दण्ड लगाये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/ सुझाव प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार श्रेणी में पृथक से अंकों का प्रावधान किया जायेगा।

8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेतावनी दी जायेगी। सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित की जायेगी।

8.7 जब कोई ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाऐ जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी शिकायत ई-मेल (md@mptourism.com) या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष/मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आई.डी. होना चाहिये।

8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिकायतें पंजीकृत की जा सकती है। उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी।

8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा ग्राम स्टे सम्पतिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात शिकायत को या तो निरस्त करेगा अथवा यदि यह पाया जाता है कि शिकायत में सत्यता है तो उस ग्राम स्टे का पजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा।

8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में मंत्री, पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन को अपील की जा सकती है। जिनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. पंजीयन निरस्तीकरण एवं डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना :-

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये ग्राम स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण–पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात–

(क) यदि ग्राम स्टे संपत्तिधारक परिवर्तित हो गया हो एवं नवीन संपत्तिधारक ग्राम स्टे संचालन हेतु अनिच्छुक हो ।

(ख) यदि ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक के विरुद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,

(ग) यदि ग्राम स्टे सम्पत्ति धारक ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो।

(घ) अन्य कोई उपयुक्त कारण ।

9.2 उप कंडिका (1) में की गयी कार्रवाई से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पतिधारक को अभियोजित करने की कार्रवाई अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

9.3 ग्राम स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक ग्राम स्टे सम्पतिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए 15 दिवस अवधि युक्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर ग्राम

स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाया जाना प्रस्तावित हो । ग्राम स्टे सम्पत्ति धारक को पक्ष प्रस्तुति का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक, मामले में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे ।

9.4 जिस ग्राम स्टे का पंजीयन निरस्त किया गया हो, वह वांछित सुधार के बाद पुन: पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका-2 के प्रावधानों के अनुसार पुन: परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा ।

10. **देयताएं :-**

10.1 ग्राम स्टे सम्पतिधारक जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय/ ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा ।

10.2 ग्राम स्टे पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (जी.एस.टी) लागू होगा।

10.3 ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

11. **निरीक्षण की शक्तियाँ :-**

11.1 प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पंजीकृत ग्राम स्टे का निरीक्षण किया जा सकेगा ।

12. **प्रचार-प्रसार:-**

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड/मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसी पंजीकृत ग्राम स्टे का प्रचार-प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा ।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत ग्राम स्टे की डायरेक्ट्री समय-समय पर (आनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जायेगी ।

13. **प्रोत्साहन:-**

13.1 ग्राम स्टे सम्पतिधारक को फूड तथा रेस्टॉरेंट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

13.2 मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड्स अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ ग्राम स्टे को अवार्ड दिया जायेगा।

13.3 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में ग्राम स्टे संपत्तिधारक नि:शुल्क भाग ले सकेगा।

13.4 संपत्तिधारक को ब्रोशर प्रिंटिंग हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 10,000/- अनुदान दिया जाएगा।

13.5 संपत्तिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 10,000/- अनुदान दिया जाएगा।

13.6 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो/रोड शो/बायर सेलर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय (रेल द्वारा एसी-II श्रेणी देश में/विदेश भ्रमण हेतु इकनॉमी क्लास का) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रुपये 50,000/- का अनुदान दिया जाएगा।

13.7 ग्राम स्टे को प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगा :-

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 15,000/- अनुदान

(ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 20,000/- अनुदान

(स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 25,000/- अनुदान

न्यूनतम पर्यटक/अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.8 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र -1 में किया जायेगा। आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र-2 अनुसार होगी।

14. प्रशिक्षण :-

संभावित ग्राम स्टे धारकों/पंजीकृत ग्राम स्टे धारकों को सामान्य संचालन संबंधी प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/आवश्यकता उपलब्ध कराई जायेगी। पंजीकृत संपत्तिधारकों की मांग के अनुरूप हाउस कीपिंग फूड प्रोडक्शन, व्यवहार कुशलता, सुरक्षा आदि जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों का आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जायेगा।

15. ग्राम स्टे विकास में निजी क्षेत्र/ पंजीकृत स्व-सहायता समूह/पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति की भूमिका :-

15.1 प्रदेश में ग्राम स्टे स्थापना हेतु पंजीकृत स्व सहायता समूह, पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं/ सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा।

15.2 ऐसी संस्थायें जो पर्यटन विभाग/ बोर्ड द्वारा ग्राम स्टे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चर्यानित/ सूचीबद्ध संस्थाओं को विभाग/ मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जायेगी।

16. योजना को लागू करना :-

इस योजना को लागू करने, निर्देश जारी करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन :-

इस योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।